© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
International Journal of Scientific Research in Science and Technology

वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर–योग वेतन की गणना विधि : एक अध्ययन

डॉ0 राज कुमार
एम.कॉम.,पीएच.डी. (वाणिज्य)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

एक वेतन भोगी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से नगद प्राप्तियों के अतिरिक्त जो भी सुविधाएँ या वेतन के स्थान पर लाभ प्राप्त होते हैं, उन्हें कर योग वेतन की गणना करते समय ध्यान में रखा जाता है। कर योग की गणना प्रक्रिया का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है–

(अ) सकल वेतन की गणना करना
(ब) सकल वेतन में से कटौतीयाँ घटाना
(स) कर योग वेतन की गणना करना

उपरोक्त तीनों कर योग वेतन की गणना प्रक्रिया का अध्ययन निम्न तरह से कर सकते हैं–

(अ) सकल वेतन की गणना करना – वेतन शीर्षक की कर योग आय की गणना करने के लिए सर्वप्रथम वेतन ज्ञात किया जाता है। सकल वेतन में निम्न आय शामिल होते हैंः–

(क) वेतन
(ख) भत्ते
(ग) अनुलाभ तथा
(घ) वेतन के स्थान पर लाभ।

(क) वेतन –वेतन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा पदत्त सेवाओं के प्रतिफल में किया गया भुगतान है। सेवाएँ किसी स्पष्ट या गर्भित अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की गई हो।

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार निम्न आयों पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय कर देना होगा–

(1) देय वेतन
(2) प्राप्त वेतन
(3) बकाया वेतन।

आयकर अधिनियम 1961 के धारा 17(1) के अनुसार वेतन शब्द में निम्न प्राप्तियाँ भी शामिल की जाती है–

1. मुल वेतन या मजदूरी
2. बोनस
3. कमीशन
4. वार्षिकी
5. अग्रिम वेतन

6. कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि फण्ड में वार्षिक विधि
7. पेंशन
8. ग्रेच्यूटी
9. स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि

(ख) भत्ते – एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मूल वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य नगद प्राप्तियाँ होती हैं जो भत्ते कहलाते हैं। इनमें से कुछ भत्ते सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं जबकि कुछ भत्ते आंशिक सीमा तक या पूर्ण सीमा तक कर योग होते हैं।

इस प्रकार आयकर की दृष्टि से करदाता को प्राप्त समस्त भत्ते को निम्न तीन भागों में बाँटे जा सकते हैं।

A. पूर्णतयाः कर योग भत्तेः–एक कर दाता को अपने न्यौक्ता से प्राप्त निम्न भत्ते पूर्णतः कर योग होते हैं तथा इन भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर दाता के वेतन में जोड़ दी जाती है।

1. महंगाई भत्ता,
2. महंगाई वेतन,
3. नगर क्षति पूरक भत्ता
4. चिकित्सा भत्ता
5. प्रेक्टिस न करने का भत्ता
6. अधिसमय भत्ता
7. जलपान भत्ता
8. पर्वतीय भत्ता
9. अन्य भत्ते।

B. आंशिक कर योग भत्ते–कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जिसकी आंशिक राशि कर योग तथा आंशिक राशि कर मुक्त होते हैं जो निम्न हैं–

1. मकान किराया भत्ता
2. मनोरंजन भत्ता
3. कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते

C. पूर्णतः कर मुक्त भत्ते– इसके अंतर्गत निम्न भत्ते आते हैं–

1. विदेश भत्ता
2. उच्च न्यायालयों के जजों को भत्ता
3. कर्त्त्व्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ता।

(ग) अनुलाभ – एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त जो आकस्मिक प्राप्तियाँ या लाभ मिलते हैं उन्हें अनुलाभ कहा जाता है। अनुलाभ वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग होता है। जो निम्न हैं–

1. सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग अनुलाभ जो निम्न प्रकार के है–

क. किराया से मुक्त रहने का मकान
ख. रियाती किराये पर रहने के लिए मिली सुविधा का मुल्यांकन
ग. कर्मचारियों के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान

2. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग अनुलाभ– इसके अंतर्गत निम्न अनुलाभ आते हैं–

क. घरेलू नौकर की सुविधा

ख. बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की सुविधा
ग. गैस, बिजली एवम् पानी की सुविधा।
3. सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ–इसके अंतर्गत निम्न अनुलाभ आते हैं–
क. चिकित्सा सुविधा
ख. नास्ते एवम् भोजन की सुविधा
ग. मनोरंजन की सुविधा
घ. टेलिफोन की सुविधा
ड. दुर्घटना बीमा प्रीमियम का भुगतान
च. नियोक्ता के कम्प्यूटर का प्रयोग
4. वेतन के स्थान पर लाभ – वेतन के स्थान पर होने वाले लाभ नियमित रूप से प्राप्त नहीं होते हैं जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह वेतन के स्थान पर कर्मचारी को दिया जाता है अर्थात् कर्मचारी को वेतन मिलना बंद हो जाता है तो ये राशियाँ दी जाती है।

एक वेतन भोगी कर्मचारी के सकल वेतन की गणना करने के लिए वेतन, भत्ते, अनुलाभ एवम् वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ जोड़कर सकल वेतन की गणना की जाती है।

(ब) सकल वेतन में से कटौतीयाँ घटाना–

कर्मचारी के सकल वेतन में से निम्न तीन कटौतीयाँ धारा 16 के अंतर्गत घटायी जाती है–
(क) मानक या प्रमाणित कटौती धारा 16(I) यह 2006–2007 में यह समाप्त कर दिया गया है।
(ख) मनोरंजन भत्ते की कटौती धारा 16(II)
(ग) रोजगार की कटौती धारा 16 (III)

(स) कर योग वेतन की गणना करना–

कर्मचारी के सकल वेतन में से धारा 16 के कटौती घटाकर कर योग वेतन की गणना की जाती है।

वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग आय निकालने के लिए जो नियम आयकर अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये हैं इसमें भी समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं साथ ही नियम काफी जटिल हैं अतः इसके नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है जो सामान्य लोगों की समझ में आसानी से आ जाए इसके लिए वेतन, भत्ते, अनुलाभ तथा वेतन के स्थान पर लाभ आदि के मूल्यांकन विधि को अधिक सरल बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :

1. आयकर विधान एवं लेखे –डॉ0 बी.के. अग्रवाल
2. आयकर नियोजन एवम् धन कर–डॉ0 एच.सी. मैल्हौत्रा
3. दूरदर्शन समाचार
4. इन्टरनेट
5. आयकर विभाग
6. विभिन्न वर्ग के कर दाताओं से मुलाकात